संख्या : 45/2016/532/छप्पन-2016-41/2015

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 25 मई, 2016

विषय : ताज अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण हेतु सैफई (जिला इटावा) एवं भदरौली (जिला आगरा) में प्रस्तावित स्थलों की प्री-फिजीबिलिटी स्टडी कराये जाने हेतु अवशेष धनराशि स्वीकृत किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1087/ए0एफ0-115-15/2016, दिनांक 18.3.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो ताज अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थलों की प्री-फिजीबिलिटी स्टडी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से कराये जाने के निमित्त परामर्श प्रभार के रूप में अतिरिक्त धनराशि रू0 5,114/-(रू0 पॉच हजार एक सौ चौदह मात्र) को स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में है।

2- इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या : 1/2016/1609/ छप्पन-2015-41/2015, दिनांक 01.01.2016 के द्वारा ताज अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थलों की प्री-फिजीबिलिटी स्टडी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से कराये जाने के निमित्त परामर्श प्रभार के रूप में रू0 11,66,105/- (रू0 ग्यारह लाख छियासठ हजार एक सौ पॉच मात्र) धनराशि स्वीकृत की गयी है। प्रकरण में अवगत कराया है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अपने पत्र दिनांक 29.01.2016 द्वारा सूचित किया है कि उन्हें रू0 11,66,105/- (रू0 ग्यारह लाख छियासठ हजार एक सौ पॉच मात्र) की धनराशि प्राप्त हो गयी है, जिसमें 14 प्रतिशत की दर से सर्विस टैक्स सम्मिलित है। भारत सरकार द्वारा सर्विस टैक्स की दरों में परिवर्तन करते हुए इसे 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 14.5 प्रतिशत कर दिया गया है। तद्नुसार कन्सल्टेन्सी फीस (परामर्श प्रभार) 11,66,105/- से बढ़कर रू0 11,71,219/- हो गयी और इसमें रू0 5,114/- का अन्तर है। इस प्रकार अन्तर की धनराशि रू0 5,114/- का भुगतान करने का अनुरोध किया है।

--2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ताज अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थलों की प्री-फिजीबिलिटी स्टडी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से कराये जाने के निमित्त सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अवशेष धनराशि रू0 5,114.00 (रू0 पॉच हजार एक सौ चौदह मात्र) के व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

4- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-38 पूंजी लेखा के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02- विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-24 -बृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या :1/2016 /बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में निहित निर्देशों के अनुसार निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

संख्या : 45/2016/532(1)/छप्पन-2016-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, इटावा/आगरा।
5- निदेशक, भूमि अध्यासि, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/ नियोजन अनुभाग-4
7- समीक्षा अधिकारी, बजट।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in